न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-362RAAJodhpur2024-152RTA223 Deeparam ors Vs Pemaram etc

1. दीपाराम पुत्र श्री मगनाराम
2. गंगाराम पुत्र श्री मगनाराम फौत के कायम मुकामः–
   2.1. श्रीमती लाछों देवी पत्नी स्व. श्री गंगाराम
   2.2. धारूराम पुत्र स्व. श्री गंगाराम
3. सांगाराम पुत्र श्री मगनाराम
   सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण– रामनगर–शेरगढ, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. पेमाराम पुत्र श्री विशनाराम
2. चनणाराम पुत्र श्री विशनाराम
3. मानाराम पुत्र श्री विशनाराम
4. हीराराम पुत्र श्री विशनाराम
5. धन्नाराम पुत्र श्री हरजीराम
   सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगणः रामनगर–शेरगढ, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 जुलाई 2024सहायक कलक्टर शेरगढराजस्व मूल वादसंख्या 27/2022दीपाराम व अन्य बनाम पेमाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री नथाराम चौधरी, श्री सांगाराम चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
श्री पी.आर. मेघवाल, के.के. सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 6

नि र्ण य

दिनांक : 05 फरवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर शेरगढ द्वाराराजस्व मूल वाद संख्या 27/2022 अनवान दीपाराम व अन्य बनाम पेमाराम इत्यादिमें पारितनिर्णय एवं डिक्रीदिनांक 26 जुलाई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 09सितंबर 2024 कोप्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1094 रकबा 138.06 बीघा, खसरा नं. 1095 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नं. 1096 रकबा 06 बिस्वा ग्राम रामनगर तहसील शेरगढ के संबंध धारा 88, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध मे खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एंव डिक्री दिनांक 05.05.2001 के जरिये वाद को स्वीकार कर लिया गया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय एंव डिक्री के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर मूल वाद में नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये गये। अदालत हाजा के उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय मण्डल द्वारा अदालत हाजा के निर्णय की पुष्टि की गई। तत्पश्चात मामला विचारण न्यायालय में पुनः दर्ज किया गया। दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा की ओर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर वादीगण का वाद विधि बाधित होने से खारिज किया जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुएनिर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 जुलाई 2024 के जरिये वादीगण के वाद को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई।अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किये जाने से अपास्त योग्य है। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय को मामलो इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वह अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करे। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी माननीय न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई हैं। विचारण न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना से हटकर मनमाने तरीके से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के आदेश 07 नियम 11 में निर्धारित दशाओं के तहत ही वाद को खारिज किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद को किस आधार पर खारिज किया है, उक्त तथ्य अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री में स्पष्ट नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र का निर्णय करते वक्त प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज का नहीं पढा जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं किये जाने तथा वाद विचारण की प्रक्रिया के विपरीत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से आलौच्य अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 27/2022 अनवान दीपाराम व अन्य बनाम पेमाराम इत्यादि में पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 26 जुलाई 2024 को खारिज फरमाया जावे एवं माननीय न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में प्रदत निर्देशो की पालना में मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे आर.एल.डब्ल्यू 1990(2) पेज 47, 2012 ए. आई. आर. एस.सी.डब्ल्यू पेज 4627, 2013(3) आर.एल.डब्ल्यू पेज 2763(राज.), आर.एल. डब्ल्यू 1998(2) पेज 1261(राज) 2012(4) आर.एल.डब्ल्यू पेज 3401(राज.) की न्यायिक नजीरे पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या दो के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेस्पोडेंट्स की खरीदसुदा खातेदारी की भूमि है। वादीगण द्वारा बेचान दस्तावेज को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। कानूनन जब तक रेस्पोडेंट्स के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता, वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण द्वारा केवल विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। वादीगण द्वारा रेकर्ड दुरूस्ती एवं खातेदारी घोषणा के संबंध में किसी प्रकार का अभिवचन नहीं किया। इस कारण से वादीगण को खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादीगण का वाद विधि से बाधित होने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये विधिसम्मत रूप से खारिज किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

रेस्पोडेंट संख्या पांच के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 मई 2021 के जरिये वादीगण का वाद स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्षं अपील संख्या 16/2013 प्रस्तुत की गई। न्यायालय द्वारा उक्त अपील निर्णय दिनांक 24 मई 2003 के जरिये आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विधिवत कार्यवाही करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसे माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड–पीठ द्वारा भी निर्णय दिनांक 22.04.2022 के जरिये यथावत रखा गया है।

उच्चतर न्यायालयों द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में प्रदत निर्देशों की पालना मे विचारण न्यायालय द्वारा वाद–विचारण की प्रक्रिया के तहत उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रतिवादीगण की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत कानूनी तनकीयात कायम किये बिना तथा उन पर पक्षकारान् को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया जाना पाया जाता है।

न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू 1990(2)राज.पेज 47 में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद पत्र को नामंजूद करने से पूर्व वादी द्वारा प्रस्तुत किये वाद पत्र में एवं वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो में प्रकाशित तथ्यों पर, न्यायालय द्वारा विचार होना आवश्यक है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में प्रकाशित तथ्यो का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवलोकन किये बिना तथा अपने निर्णय में वाद पत्र विधि के कौनसे प्रावधानों से बाधित है, के संबंध में स्पीकिंग आदेश पारित किये बिना सरसरी तौर पर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण के वाद को खारिज किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत मामले में लागू होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 27/2022 अनवान दीपाराम व अन्य बनाम पेमाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 जुलाई 2024 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश एवं हिदायत के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिप्रेषित प्रकरण में पूर्व में प्रदत निर्देशों की पालना में वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत वाद का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर